न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर (म.प्र.)

(166)

R- 1208-I/12

अजीत कुमार श्रीवास्तव तनय स्व.श्री गिरीश कुमार श्रीवास्तव उम्र 37 वर्ष पेशा व्यापार साकिन धवारी गली नं. 5 सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना (म.प्र.)

..............................**निगराकार**

बनाम

1) अरुण कुमार श्रीवास्तव तनय स्व. श्री गिरीश कुमार श्रीवास्तव उम्र 46 वर्ष पेशा नौकरी साकिन आकाश गंगा नगर उत्तरी पतेरी सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना (म.प्र.)

2) श्रीमती रश्मि श्रीवास्तव पत्नी श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव उम्र 50 वर्ष पेशा गृहकार्य पुत्री स्व.श्री गिरीश कुमार श्रीवास्तव साकिन प्रायमरी स्कूल के पास धवारी गली नं. 5 सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना (म.प्र.)

3) श्रीमती दीप्ति श्रीवास्तव पत्नी श्री विनय शंकर श्रीवास्तव उम्र 42 वर्ष पेशा गृह कार्य पुत्री स्व.श्री गिरीश कुमार श्रीवास्तव साकिन विजय आटो सेन्टर इलाहाबाद रोड कर्वी – चित्रकूट (उ.प्र.)

4) निरूपमा श्रीवास्तव पुत्री स्व.श्री गिरीश कुमार श्रीवास्तव साकिन धवारी गली नं. 5 सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना (म.प्र.).....**गैर निगराकार.गण**

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा म.प्र. के प्र.क्र. 1382/अपील/10–11, अरुण कुमार श्रीवास्तव वगैरह बनाम अजीत कुमार श्रीवास्वत वगैरह सतना पारित आदेश दिनांक 13.04.2012

मान्यवर,

उपरोक्त संदर्भ में निगराकार निम्नलिखित आधार पर निगरानी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 1208–एक/2016 जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29–9–2016	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 1382/अपील/10–11 में पारित आदेश दिनांक 13–4–2012 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तगर्त प्रस्तुत की गई है। 3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे प्रकट होता है कि अनावेदकगण द्वारा नगर सतना शीट कमांक 42 ए भूखण्ड कमांक 211 रकवा 3940 वर्गफीट पर मृतक लीजधारी श्रीमती शैल कुमार के स्थान पर वारसाना नामांतरण किये जाने बावत प्रस्तुत किया, जिसपर नजूल अधिकारी ने प्रकरण पंजीबद्ध कर इश्तहार प्रकाशन करने के आदेश दिये। आवेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत कर वसीयत दिनांक 20–10–2000 को संपादित वसीयत के आधार पर नामांतरण हेतु मांग की गई जिसे तहसीलदार नजूल द्वारा आदेश दिनांक 28–4–11 को आपत्ति निरस्त करते हुये आदेश दिनांक 05–05–11 के द्वारा वारिसाना नामांतरण स्वीकृत किया। अभिलेख में संलग्न खसरा वर्ष 07–08, 08–09 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भू–खण्ड रकबवा 3940 वर्गफीट निर्मित पक्का मकान श्रीमती संतोष पत्नी स्व0 श्री संतोषकुमार, वैभव, निखिल, विवके तनय स्व0 श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव, श्रीमती शैल कुमारी पत्नी स्व0 श्री गिरीश श्रीवास्तव, संतोष	

कुमार तनय श्री नारायण प्रसाद, श्रीमती प्रेमलता पत्नी स्व0 शिवकुमार, अमितकुमार, अनुभव तनय स्व0 शिवकुमार श्रीवास्तव के नाम दर्ज है और लीज नवीनीकरण वर्ष 2031 तर्क है। नजूल तहसीलदार के समक्ष मात्र सहलीजधारी शैल कुमार की मृत्यु उपरांत केवल अनावेदक कमांक 1 की ओर से नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था, जिस पर सभी अनावेदगणों के हस्ताक्षर नहीं है। सभी पक्षों के हस्ताक्षर नहीं होने से उक्त नामांतरण आवेदन ही अपने आप में त्रुटिपूर्ण है। इसके अलावा शैल्कुमार के अलावा अन्य सहलीजधारियों का नाम प्रश्नाधीन भू–खण्ड में अंकित होने के बावजूद उन्हें प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया। आवेदक को विचारण न्यायालय में सूचना प्रदान नहीं की गई थी तथा प्रकरण में आपत्ति भी प्रस्तुत की गई थी, ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय को प्रकरण में अनावेदकगण के साक्षियों की प्रतिपरीक्षण सहित आवेदक के वसीयत के साक्षियों का भी साक्ष्य, प्रतिपरीक्षण व विवेचना आवश्यक थी, परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक की उपस्थिति के पूर्व हुये साक्ष्य के आधार पर नामांतरण आदेश पारित करने में त्रुटि की है। इसी कारण अपर कलेक्टर द्वारा नजूल तहसीलदार के आदेश को निरस्त कर प्रकरण को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि उभय पक्षों को साक्ष्य, सुनवाई एवं पक्षसमर्थन का युक्तियुक्त अवसर देते हुये संहिता के प्रावधाननानुसार प्रकरण में विधिसंगत आदेश पारित करने हेतु भेजा। अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश नैसर्गिक न्याय की दृष्टि से उचित प्रतीत होता है। अपर आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त ने अपने

आदेश में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार वारिसान के पक्ष में किये गये नजूल अधिकारी के आदेश को उचित माना है तथा आवेदक को स्वत्व के निराकरण के लिए व्यवहार न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करने संबंधी निष्कर्ष निकाला है, जो उचित नहीं है क्योंकि वसीयत के आधार पर नामांतरण किये जाने में कोई बाधा कानून में नहीं है। अतः अपर आयुक्त का आदेश विधिक दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

4/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में निगरानी स्वीकार की जाती है। अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 13–4–12 निरस्त किया जाता है तथा अपर कलेक्टर का प्रत्यावर्तन आदेश दिनांक 26–8–2011 स्थिर रखा जाता है। प्रकरण अपर कलेक्टर के आदेश के कम में अग्रिम कार्यवाही हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(के0सी0 जैन)
सदस्य